बाल विवाह मुक्त श्रावस्ती का एसपी ने उठाया बीड़ा

जिले के 63 कॉलेजों के प्रधानाचार्यों व सामाजिक संस्थाओं के साथ की बैठक

माता प्रसाद वर्मा

श्रावस्ती। जिले में व्याप्त कुरीतियों को खत्म करने के लिए पुलिस अधीक्षक प्राची सिंह लगातार प्रयासरत हैं। जिले में कार्यभार ग्रहण करने के बाद से ही उन्होंने एक के बाद एक अभियान चलाकर कुरीतियों तथा अपराधियों पर नकेल कसने के लिए संघर्ष कर रही हैं। इसी संघर्ष के क्रम में 14 मार्च को उन्होंने बाल विवाह के खिलाफ एक अभियान चलाया है। अगर यह अभियान सफल रहता है तो आने वाले समय में श्रावस्ती निश्चित तौर पर बाल विवाह मुक्त होगा।

आपको बता दें कि श्रावस्ती बाल विवाह के मामले में शीर्ष पर है। जिसपर अंकुश लगाने के लिए पिछले कई वर्षों से जिला प्रशासन एवं समाजसेवी संस्थाएं अथक प्रयास कर रही हैं। मगर इस मामले में बहुत बेहतर नतीजा सामने नहीं आ सका है। बाल विवाह के मामले में अभी हाल ही में जारी एक रिपोर्ट में श्रावस्ती एक बार फिर शीर्ष पर रहा है। ऐसे में श्रावस्ती को बाल विवाह मुक्त बनाने का बीड़ा अब खुद पुलिस अधीक्षक ने उठाया है। इसके लिए पुलिस अधीक्षक ने 14 मार्च को पुलिस कार्यालय सभागार कक्ष में जनपद के 63 कालेजों के प्रधानाचार्यों के साथ एक बैठक कर जिले को बाल विवाह मुक्त बनाने पर रणनीति बनाई है। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने अपने कहा कि श्रावस्ती में बाल विवाह के यक्ष प्रश्न को पुलिस हर सम्भव तरीके से हल करेगी। इसके लिए थाना प्रभारियों के साथ-साथ सभी बीट पुलिस अधिकारियों को निर्देश जारी किया जा रहा है कि उनके क्षेत्र में जो तिलकोत्सव या विवाह हो रहे हैं, वह कहां और किसका है तथा वर-वधू की उम्र क्या है। क्षेत्र में भ्रमण के दौरान यदि कोई बाल विवाह संबंधी प्रकरण सामने आता है तो इसकी सूचना तत्काल उनको दें। साथ हीं सभी प्रधानाचार्यों को भी बाल विवाह के प्रति जागरूकता अभियान चलाने तथा कालेज के हर छात्र-छात्राओं के विवाह सम्बंधी जानकारी रखने की अपील की गई है। जनपद भर से उपस्थित प्रधानाचार्यों ने भी पुलिस अधीक्षक के इस अभियान में बढ़-चढ़कर सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया है।

प्रधानाचार्यों ने आगामी शिक्षा सत्र से प्रार्थना के पश्चात बाल विवाह के खिलाफ संकल्प की परंपरा प्रारम्भ करने की भी बात कही है। पुलिस अधीक्षक ने आगे कहा कि समाज में जागरूकता फैलाकर तथा शिक्षा के प्रचार-प्रसार से हीं बाल विवाह को रोका जा सकता है। इस कुप्रथा को सबके सहयोग से ही समाप्त किया जा सकता है। इसमें जनपद के हर एक जिम्मेदार नागरिक की भागीदारी जरूरी है। बाल विवाह रोकने के लिए पुलिस अधीक्षक ने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है, जिसमें सभी प्रधानाचार्यों का नंबर जोड़ कर बाल विवाह संबंधी जानकारी का आदान-प्रदान किया जायेगा। बाल विवाह सम्बंधी सूचना देने के लिए 9454402480 नम्बर जारी करते हुए बताया है कि इस नम्बर पर सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम और पता गोपनीय रखा जायेगा। जिससे लोग निर्भीक होकर इस कुरीति के खिलाफ जंग में अपना योगदान दे सकते हैं। इस कार्यक्रम में जनपद के 63 कॉलेजों के प्रधानाचार्य, सामाजिक संस्था के पदाधिकारी व पुलिस अधिकारी मौजूद रहे।

जिले के विभिन्न कॉलेजों के प्रधानाचार्यों के साथ एसपी प्राची सिंह।

- **आगामी शिक्षा सत्र से प्रार्थना के पश्चात बाल विवाह के खिलाफ संकल्प की परंपरा होगी प्रारम्भ**